# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

**आर0एम0ए0 नं0–35/2017–18**

**सदानंद महतो**

**बनाम्**

**तुलसी महतो एवं अन्य**

## –: आदेश :–

दिनांक 11/8/23

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सदानंद महतो, पि0–स्व0 राम चन्दर महतो, सा0–निपनियाँ, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–17/2016–17 के आदेश दिनांक–19.08.2017 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद सं0–17/2016–17 के आदेश दिनांक–19.08.2017 के द्वारा अपीलकर्त्ता के दावा आवेदन को खारिज करते हुए मौजा–निपनियाँ, खाता नं0–142 दाग नं0–2838 रकवा 00–14–14 धुर जमीन उत्तरवादी तुलसी महतो को दखल दिलाने के लिए आदेश दिया गया है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–निपनियाँ के तत्कालिन प्रधान बाबूलाल महतो के द्वारा वर्ष 1993 ई0 में मौजा–निपनियाँ के अन्तर्गत खाता नं0–142 के अन्तर्गत दाग नं0–2838 रकवा 00–14–14 धुर जमीन अपीलकर्त्ता सदानंद महतो के साथ बंदोवस्ती पट्टा के माध्यम से बंदोवस्त किया था। बंदोवस्ती पट्टा से उक्त जमीन प्राप्त होने के बाद उक्त जमीन का अपीलकर्त्ता के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गोड्डा प्रखंड के द्वारा समतलीकरण कराया गया एवं जमीन के चारों तरफ अड्डा पर प्लास का वृक्ष लगाया एवं समतलीकरण के बाद उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता के द्वारा खेती का कार्य करने लगा। उस समय तक उत्तरवादी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया। बाद में उत्तरवादी तुलसी महतो के द्वारा भी अपने पिता सीताराम महतो को मौजा के प्रधान से दिनांक–25.03.76 को प्राप्त बंदोवस्ती पट्टा के आधार पर उसी जमीन पर दावा करने लगा। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उसी सीताराम महतो को मौजा के प्रधान के द्वारा उसी मौजा के अन्तर्गत अन्य

दाग नं0–3458 रकवा 01–05–00 धुर जमीन दिनांक–25.02.76 ई0 को बंदोवस्त किया गया है। उक्त जमीन का बंदोवस्ती पट्टा सम्पुष्टि के लिए उत्तरवादी तुलसी महतो की ओर से वर्ष 2009–10 में बंदोवस्ती केश नं0–46/09–10 दायर किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दाग नं0–3458 की बंदोवस्त जमीन का आदेश दिनांक–31.07.1010 के द्वारा उत्तरवादी तुलसी महतो के नाम से बंदोवस्ती पट्टा सम्पुष्ट किया गया। लेकिन उक्त बंदोवस्ती केश नं0–46/2009–10 में अपील वादगत जमीन का बंदोवस्ती पट्टा का सम्पुष्टि के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था। वर्तमान प्रधान कृष्णकांत महतो के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि न तो पूर्व प्रधान न ही वर्तमान प्रधान के द्वारा सीताराम महतो को दाग नं0–2838 की जमीन का पट्टा निर्गत किया गया। उत्तरवादी के द्वारा जिस पट्टा के आधार पर उक्त दाग नं0 की जमीन पर दावा कर, वह पट्टा बिल्कुल ही फर्जी है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा मौजा के प्रधान से मौजा के बंदोवस्त जमीन की सूची की माँग की गयी थी। मौजा के प्रधान के द्वारा मौजा के बंदोवस्त रैयतों का सूची दिया था, उसमें अपीलकर्त्ता का नाम है। इस प्रकार उत्तरवादी का उक्त दाग नं0–2838 की जमीन पर न तो दखल था और न ही पट्टा सही था। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार नहीं किया और न ही मौजा के प्रधान के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए मौजा के प्रधान को उक्त जमीन का लगान रसीद निर्गत करने के लिए निदेश देने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–निपनियाँ खाता नं0–182 दाग नं0–2838 रकवा 00–14–14 धुर जमीन तुलसी महतो के पिता जो सेवानिवृत सैनिक था, उन्हें 25.03.1976 को ग्राम प्रधान बाबूलाल महतो द्वारा बंदोवस्त कर पट्टा निर्गत की गई तथा उक्त जमीन का माल गुजारी रसीद भी ग्राम प्रधान के द्वारा निर्गत की गई। अपीलकर्त्ता सदानंद महतो ने दिनांक–05.02.1993 मौजा–निपनियाँ खाता नं0–142 दाग नं0–2838 रकवा 00–14–14 धुर जमीन का ग्राम प्रधान को गुमराह कर निर्गत करा ली। जबकि उक्त जमीन सीताराम महतो जो भूतपुर्व सैनिक था। उन्हें उक्त जमीन पूर्व में ही बंदोवस्त कर दिनांक–25.03.

1976 को पट्टा दे दिया गया था। उक्त जमीन सीताराम महतो के दखलकब्जा में तथा उनके देहांत के बाद उनका पुत्र तुलसी महतो उक्त जमीन पर शांति पूर्वक दखलकार है एवं जोत आबाद कर रहा है। मौजा–निपनियाँ नं0–544 दाग नं0–2838 रकवा 00–14–14 धुर जमीन बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा सीताराम महतो के नाम से पर्चा भी निर्गत की जा चुकी है। यह कि वर्ष 1976 ई0 से लगातार सीताराम महतो एवं उनके पुत्र तुलसी महतो उक्त जमीन का जोत आबाद करते चले आ रहे हैं। लेकिन अपीलकर्त्ता सदानंद महतो कुट रचना कर उक्त जमीन का पट्टा 1993 ई0 में बनाकर सम्पुष्टि हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में वि0 वाद सं0–04/12–13 दाखिल किया, जिसमें माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्ता सदानंद महतो का आवेदन अस्वीकार करते हुए दिनांक–09.02.2016 को खारिज कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद सं0–17/16–17 में उभय पक्षों से अपने–अपने पक्ष में निर्गत मौजा–निपनियाँ नं0–544 दाग नं0–2838 रकवा 00–14–14 धुर जमीन का पट्टा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की, जिसमें अंचल अधिकारी, गोड्डा ने उभय पक्षों की ओर से दाखिल कागजात में स्पष्ट लिखा है कि मौजा–निपनियाँ नं0–544 खाता नं0–142 रकवा 00–14–14 धुर जमीन ग्राम प्रधान बाबूलाल महतो के द्वारा सीताराम महतो, पे0–केशो महतो, सा0–निपनियाँ को निर्गत किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा रा0वि0 वाद सं0–17/16–17 दिनांक–17.08.18 का आदेश सत्य एवं सही है तथा अपीलकर्त्ता सदानंद महतो उक्त जमीन को जबरन तुलसी महतो जो सीताराम महतो के पुत्र है, उनसे छिनने/हड़पने की नियत से बराबर झुठा आवेदन देकर न्यायालय का बहुमुल्य समय को बरबाद करने का काम करते है। मौजा–निपनियाँ के भूतपुर्व प्रधान के द्वारा परती कदीम जमीन का बंदोवस्ती का विवरण सूचना अधिकार के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा से मांग की गई, जिस पर अंचल अधिकारी, गोड्डा के ज्ञापांक–24/रा0 दिनांक–08.01.2013 को मौजा–निपनियाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान कृष्णकांत महतो के द्वारा दिनांक –07.01.2013 को मौजा–निपनियाँ 63 बीघा 03 कट्ठा 03 धुर जमीन का बंदोवस्ती पट्टा पूर्व प्रधान बाबूलाल महतो के द्वारा किया गया था।

प्रधान की ओर से लिखित बहस दिया गया है। उनका कथन है कि वर्तमान में मौजा–निपनियाँ के प्रधान कृष्णकांत महतो है। प्रश्नगत भूमि को मौजा–निपनियाँ के परती कदीम भूमि दाग नं0–2838 से जुड़ा है। उसको बंदोवस्ती पूर्व प्रधान बाबूलाल महतो के द्वारा की गई है। मौजा–निपनियाँ थाना नं0–544 के पूर्व प्रधान स्व0 बाबूलाल महतो के समय का प्रधानी पट्टा वर्तमान प्रधान कृष्णकांत महतो के पास उपलब्ध नहीं है। वर्तमान प्रधान के पास पूर्व प्रधान द्वारा परती कदीम जमीन बंदोवस्ती के प्रतिवेदन का छायाप्रति उपलब्ध है। उक्त प्रतिवेदन में दाग नं0–2838 सदानंद महतो, पिता–स्व0 राम चन्दर महतो के नाम से बंदोवस्ती अंकित है। जबकि सीताराम महतो, पिता–स्व0 केशो महतो दाग नं0–3458 के अंदर रकवा 01–05–00 धुर जमीन बंदोवस्त अंकित है। वर्तमान प्रधान मौजा–निपनियाँ द्वारा किसी भी रैयत का कोई भी भूमि बंदोवस्त नहीं किया गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का संयुक्त प्रतिवेदन है कि मौजा–निपनियाँ थाना नं0–544 अंचल–गोड्डा के भूतपूर्व प्रधान के द्वारा गैरमजरूआ खाता नं0–142 में कुल रकवा 63–03–03 धुर जमीन का निर्गत प्रधानी पट्टा/बंदोवस्ती एस0पी0टी0 एक्ट में वर्णित शर्तों/नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं के संबंध में संयुक्त रूप से स्थल पर जाकर राजस्व कर्मचारी के साथ जाँच किया गया। जाँच के उपरांत निम्नलिखित तथ्य है :–

1. श्री सदानंद महतो, पिता–स्व0 रामचन्द्र महतो से ग्राम–निपनियाँ में मुलाकात हुआ। खाता नं0–142 दाग नं0–2838 पर जाकर जाँच किया गया। श्री सदानंद महतो द्वारा बतलाया गया कि 1993 से ये खेती कर रहे हैं। जमीन देखने से स्पष्ट हुआ कि विगत वर्षों से जमीन पर खेती नहीं हुआ है।
2. श्री मनोज मड़ैया, पिता–भरत मड़ैया एवं श्री रावण मड़ैया, पिता–सहदेव मड़ैया के द्वारा बतलाया गया कि उनके पास मात्र 13 डिसमिल रहने की जमीन है। वे लोहरा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उनके द्वारा प्रधान से गैरमजरूआ जमीन बंदोवस्ती के लिए अनुरोध किया गया था। परन्तु उनके द्वारा उन्हें बंदोबस्ती नहीं किया गया।

3. ग्राम–निपनियाँ के संथाल टोला में जाकर पूछ–ताछ करने पर पता चला कि ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, संथाल के किसी सदस्य को भी गैरमजरूआ भूमि बंदोवस्ती नहीं किया गया।

4. गाँव में पूछ–ताछ से पता चला कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने ही सम्पर्क के लोगों को भूमि बंदोवस्ती किया गया है। कुछ का विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र0 | नाम/पिता/पति का नाम | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 1. | चोवा महतो, पिता–स्व0 रूपु महतो वो परमेश्वर महतो, पिता–द्वारिका महतो | भूमिपति |
| 2. | रामनारायण महतो, पिता–स्व0 जादु महतो | प्रधान के नजदीकी |
| 3. | युगल किशोर महतो, पिता–स्व0 बहादुर महतो | भूमिपति |
| 4. | दरबारी महतो, पिता–पोखन महतो | प्रधान के नजदीकी, भूमिपति |
| 5. | बद्री नारायण राय, पिता–स्व0 हुरू राय | बाहरी रैयत |

5. जमाबंदी नं0–142 गैरमजरूआ खाता की भूमि अन्तर्गत कुछ पट्टाधारी की भूमि जिंदल पॉवर प्लान्ट को हस्तान्तरित किया गया है।

6. संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 27 अन्तर्गत गैरमजरूआ परती भूमि के बंदोबस्ती का प्रावधान अंकित है।

ग्राम निपनियाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान श्री कृष्णकांत महतो से पूछ–ताछ किया गया। प्रावधान के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत पट्टा की एक प्रति ग्राम प्रधान के पास रहनी चाहिए, एक प्रति उपायुक्त को भेजा जाना चाहिए एवं एक प्रति जमींदार को भेजा जाना चाहिए था। वर्तमान ग्राम प्रधान पूर्व में निर्गत किये गये पट्टा की एक प्रति नहीं दिखाया गया। एक प्रति उपायुक्त एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजने को भेजने की प्राप्ति रसीद भी नहीं दिखाया गया। अंचल गोड्डा में इस तरह के बंदोवस्ती का पट्टा प्राप्त नहीं है।

7. संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 28 अन्तर्गत गैरमजरूआ परती भूमि के बंदोवस्ती किसे किया जाना है। इसके नियमों का वर्णन अंकित है।

संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 28(a) अन्तर्गत " fair and equitable distribution of land according to the requirements of each raiyat and his capacity to reclaim and cultivate."

से स्पष्ट होता है कि गाँव में अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन सदस्यों के रहते हुए ग्राम प्रधान द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं करते हुए नजदीक के व्यक्तियों को भूमि का पट्टा दिया गया।

संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–28(d) अन्तर्गत " provision for landless labourers who are bona fide permanent residents of the village and are recorded for a dwelling house in the village."

से स्पष्ट होता है कि गाँव में अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन सदस्यों के रहते हुए ग्राम प्रधान द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं करते हुए नजदीक के व्यक्तियों को भूमि का पट्टा दिया गया।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि प्रावधान के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत पट्टा की एक प्रति ग्राम प्रधान के पास रहनी चाहिए, एक प्रति उपायुक्त को भेजा जाना चाहिए एवं एक प्रति जमींदार को भेजा जाना चाहिए था। वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा पूर्व में निर्गत किये गये पट्टा का एक प्रति नहीं दिखाया गया है। एक प्रति उपायुक्त, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजने की प्राप्ति रसीद भी नहीं दिखया गया है। ऐसी स्थिति में तत्कालिन प्रधान द्वारा निर्गत पट्टा का जाँच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–निपनियाँ नं0–544, गैरमजरूआ खाता नं0–142, दाग नं0–2838 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती कहकर दर्ज है। उक्त दाग नं0–2838 के अन्तर्गत की जमीन की बंदोवस्ती का दावा अपीलकर्त्ता सदानंद महतो एवं उत्तरवादी तुलसी महतो के द्वारा किया गया है। उत्तरवादी के द्वारा दिनांक–25.03.76 के बंदोवस्ती पट्टा के आधार पर दावा किया जा रहा था। लेकिन अंचल अधिकारी, गोड्डा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में उत्तरवादी को बंदोवस्ती प्राप्त होने का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि उत्तरवादी तुलसी महतो को दाग नं0–3458 की जमीन रकवा 01–05–00 धुर जमीन की बंदोवस्ती, बंदोवस्ती पट्टा के द्वारा किया गया है। उक्त बंदोवस्ती पट्टा का सम्पुष्टि के लिए उत्तरवादी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में बंदोवस्ती वाद सं0–46/09–10 दायर किया गया था। लेकिन उक्त आवेदन के साथ दाग नं0–2838 की जमीन का बंदोवस्ती पट्टा सम्पुष्टि का आवेदन दाखिल नहीं किया गया था। अपीलकर्त्ता यह भी कथन है कि उत्तरवादी तुलसी महतो के द्वारा दिनांक–25.03.1976 को बंदोवस्ती प्राप्त जमीन पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक–19.08.2017 को दखल दिलाने के लिए

आदेश दिया गया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोवस्ती की तिथि से 05 वर्ष के भीतर दखल में लेना आवश्यक है। अपीलकर्त्ता की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत दाग नं0–2838 की जमीन का समतलीकरण से संबंधित कागजात दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–17/2016–17 के आदेश दिनांक–19.08.2017 को निरस्त करते हुए अभिलेख पुनर्विचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को रिमाण्ड किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 13:17:15 +05:30
Location: 192.168.1.38